प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं 198/2023 दिनांक 21/7/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 7
   (2) अधिनियम .....–.....भा.द.स.....–.....धारायें..... –.....
   (3) अधिनियम .....–.....धारायें.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये.....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 955 समय 3:00 P.M.

   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 01.03.2023 समय – 10.50 ए.एम.

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :–27.02.2023 समय 12.15 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– हस्तलिखित

5. घटनास्थल :– अभिनव हॉटल, आऊ ।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा उत्तर, करीब 110 कि0मी0
   (ब) पता :– तहसील मुख्यालय आउ जिला जोधपुर ।
   .....बीट सख्या.....–.....जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री मदनलाल
   (ब) पिता का नाम : श्री हीराराम
   (स) जन्म तिथि : 34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या.....–.....जारी होने की तिथि ...–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय :– खेतीबाडी
   (ल) पता :– निवासी– गांव लक्ष्मण नगर चाडी तहसील ओसिया जिला जोधपुर मो.नं. 9983384047

   7.ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   श्री सुरेशचन्द्र बुनकर पुत्र श्री भेरुलाल बुनकर उम्र 52 साल .जाति बुनकर निवासी ग्राम पिपलोदा, पुलिस थाना नरवर जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना विजय नगर जिला इन्दौर अर्बन मध्यप्रदेश।

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण
   .....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   .....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि .....——.....

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो).....

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवा में,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो,
जोधपुर–ग्रामीण राजस्थान।

विषय – रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै मदन लाल पुत्र श्री हीरा राम जाति विश्नोई निवासी श्री लक्ष्मणनगर (चाडी) की अर्ज इस प्रकार है कि मेरा रिश्ते में चाचा का लड़का मांगी लाल पुत्र श्री पुनम चन्द निवासी कृष्णनगर चाडी जो कि किसी प्रकरण में चंडीगढ जेल में बन्द था उसको प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर, मध्यप्रदेश लाया गया दिनांक 24.02.2023 को मै मांगी लाल से मिलने के लिए पुलिस थाना विजयनगर, इन्दौर मध्यप्रदेश गया जहां पर पुलिस थाने श्री सुरेश मिश्रा मेरे को मिले उन्होंने मेरे से 3 लाख रिश्वत राशि की बात करते हुए कहा कि यदि आप लोगो ने 3 लाख रूपये नही दिये तो मांगी लाल को किसी दुसरे झुठे मुकदमे में फंसा देंगे और इसकी जमानत नही होने देंगे। मेरे द्वारा विनती करने पर 2 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए है। वो रिश्वत राशि लेने के लिए आज या कल मेरे ग्राम आउ आएंगे। रिपोर्ट पेश करता हुं कानूनी कार्यवाही करावे।

भवदीय

एसडी
मदन लाल
पुत्र श्री हीरा राम विश्नोई
लक्ष्मणनगर, चाडी
मो.न. 9983384047
दिनांक 27.02.2023

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 27.02.2023 को वक्त 12.15 पीएम. पर लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री मदन लाल पुत्र श्री हीरा राम जाति विश्नोई निवासी लक्ष्मणनगर, चाडी ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि कि मेरा रिश्ते में चाचा का लड़का मांगी लाल पुत्र श्री पुनम चन्द निवासी कृष्णनगर चाडी जो कि किसी प्रकरण में चंडीगढ जेल में बन्द था उसको प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर, मध्यप्रदेश लाया गया दिनांक 24.02.2023 को मै मांगी लाल से मिलने के लिए पुलिस थाना विजयनगर, इन्दौर मध्यप्रदेश गया जहां पर पुलिस थाने श्री सुरेश मिश्रा मेरे को मिले उन्होंने मेरे से 3 लाख रिश्वत राशि की बात करते हुए कहा कि यदि आप लोगो ने 3 लाख रूपये नही दिये तो मांगी लाल को किसी दूसरे झुठे मुकदमे में फंसा देंगे और इसकी जमानत नही होने देंगे। मेरे द्वारा विनती करने पर 2 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुए है। वो रिश्वत राशि लेने के लिए आज या कल मेरे ग्राम आउ आएंगे।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 2.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मदन लाल को आवश्यक हिदायत एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर संदिग्ध आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरंत मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 2.15 पी.एम.

पर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान सचिव, जोधपुपर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक को सुपर्द कर स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया। व्क्त 3.30 पी.एम पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक एवं दो स्वतंत्र गवाहान के हाजिर आये उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय लिया गया तो उन्होने क्रमशः अपना नाम श्री रोहित पालीवाल हाल जेईएन, जोधपुपर विकास प्राधिकरण, जोधपुर मोबाईल नम्बर 9413490768 एवं श्री अर्जुन पंवार हाल कनिष्ठ सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा फोन किया जाने के आधा घंटे में कार्यालय पहुंचने की आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 28.02.2023 को वक्त 6.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मदन लाल ने जरिये मोबाईल वार्ता कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री मांगी लाल को लेकर आज रात्रि में आउ पहुंचने की सम्भावना है जिस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 01.03.2023 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ग्राम आउ में बताये गये स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत की गई एवं समस्त ब्यूरो जाब्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 01.03.2023 को 5.30 ए.एम. पर उपस्थित होने हिदायत की गई। दिनांक हुई 5.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल एवं श्री अर्जुन पंवार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 5.50 ए.एम. पर मन् श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस, श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रोहित पालीवाल, श्री अर्जुन पंवार, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री संजय कानि. 587 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री भीम सिंह कानि. 446,एवं के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली तथा श्री प्रभु सिंह कानि. 77 को फिनोथफ्लीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की शीशियां सुपुर्द कर हमरा लेकर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन व श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम आउ के लिए रवाना हुए। श्री ओम प्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते सुपरविजन हमरा है। वक्त 9.30 ए.एम. पर मन् श्री अमरा राम खोखर निरीक्षक पुलिस, श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रोहित पालीवाल, श्री अर्जुन पंवार, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री संजय कानि. 587 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री प्रभु सिंह कानि. 77, एवं के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली तथा श्री प्रभु सिंह कानि. 77 को फिनोथफ्लीन पाउडर की शीशी जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम ड्रा.कानि. 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन व श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस का निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना शुदा ग्राम आउ पहुचे। ग्राम आउ पहुँच पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री मांगी लाल ग्राम आउ में बस स्टेण्ड पर उपस्थित मिला तथा बताया कि संदिग्ध आरोपी वर्तमान में अभिनव आवास होटल, चाडी रोड आउ में ठहरे हुए है। वक्त 10.00 ए.एम. पर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हमराह श्री अमरसिंह कानि. 415 का परिवादी श्री मदन लाल से परिचय करवाकर डिजिटल वायॅस रिकार्डर मेमोरी कार्ड सहित सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर परिवादी श्री मदन लाल एवं श्री अमरसिंह कानि. को डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के कानि. श्री अमर सिंह को सुपुर्द कर वास्ते सत्यापन हेतु आऊ में ही स्थित अभिनव हॉटल, आऊ (वर्तमान में आरोपी के साथ ठहरा हुआ) की तरफ रवाना किया गया। वक्त 10.50 ए.एम. पर रिश्वति राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि0 श्री अमरसिंह व परिवादी श्री मदनलाल उपस्थित आये व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालात में पेश कर परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है और श्री सुरेश चन्द्र उप निरीक्षक ने 1,50,000/--रू. की मांग कर लाने के लिए कहा हैं। इस पर कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री मदन लाल व श्री सुरेश चन्द्र उप निरीक्षक के बीच हुई वार्तालाप को सुनने से पाया गया कि रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से 1,50,000/- रूपये रिश्वति राशि की मांग करना व जल्दी लेकर आने बाबत कहना आदि की पुष्टि हुई है, परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंशो को हमराह स्वतंन्त्र गवाहान को भी सुनाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट आईन्दा पृथक से तैयार किये जाने का निर्णय लिया जाकर

कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा। वक्त 11.05 ए.एम. पर परिवादी श्री मदन लाल ने रूबरू हमरा स्वतन्त्र गवाहान के ग्राम आउ से चाडी की तरफ जाने वाली रोड पर सुनसान जगह पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा जाने पर परिवादी द्वारा बताया गया कि मेरे पास 1,00,000/–रू. की ही व्यवस्था हुई है जिस पर एक लाख रू. की रिश्वती राशि पर ही ट्रेप कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा रिश्वत में दिये जाने वाले 1,00,000/–रू 2000–2000 रू. के कुल 44 नोट व 500–500 रूपये कुल नोट 24 प्रस्तुत किये, उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये उक्त सभी नोटो पर हमरा श्री प्रभु सिंह कानि. 77 से उसके पास पूर्व से सुपुर्द की हुई फिनोफथलीन पाउडर की शिशि से परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री रोहित पालीवाल से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री प्रभु सिंह कानि. 77 से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री प्रभु सिंह कानि. 77 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिकिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान कानि. श्री प्रभु सिंह 77 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 12.15 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान आउ से चाडी की तरफ जाने वाली रोड सुनसान जगह पर श्री प्रभुसिंह कानि. 77 को फिनोफथलीन पाउडर की शिशि सहित वहां पर आवश्यक हिदायत देकर छोडा जाकर रवाना हो अभिनव होटल, चाडी रोड़ आउ के नजदीक पहुंचे। वक्त 12.30 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अमर सिंह कानि. नम्बर 415 से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड है को चालू करवाकर परिवादी श्री मदन लाल को सुपुर्द करवाकर अभिनव होटल के लिए आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान के गोपनीय रूप से अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन देन के इन्तजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री मदन लाल बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्याल्य का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक अभिनव होटल के कमरे में मिले एवं दूर से ही मुझे बाद में आने एवं फोन करने का ईशारा किया। जिस पर आरोपी के बताये अनुसार आरोपी श्री सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक के मोबाईल कॉल आने के इन्तजार में व्यस्थ रहे। वक्त 3.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मदन लाल के मोबाईल पर आरोपी सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक ने फोन कर परिवादी को 10–15 मिनट में अभिनव होटल पर आने का कहा। वक्त 03.40 पी.एम. पर श्री अमर सिंह कानि. नम्बर 415 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड है को चालू करवाकर परिवादी श्री मदन लाल को सुपुर्द कर अभिनव होटल के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान के गोपनीय रूप उपस्थिति छुपाते हुए राशि लेन देन/परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में मुकीम रहे। वक्त 04.00 पी.एम पर परिवादी श्री मदन लाल बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। जिस पर परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनी अभीरक्षा में रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी को शक हो गया है सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक ने मेरे से बात भी नही की एवं होटल एवं खाने का बिल मुझे दिया व डाट लगाकर कर भगा दिया तथा सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक एवं अन्य स्टाप अपनी गाड़ी से अन्यत्र जगह के लिए रवाना हो गये है। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से रिश्वती राशि 1,00,000/– रूपये परिवादी श्री मदन लाल की जेब से स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल से निकलवाये जाकर एक सफेद कागज में लिपटवा कर गवाह श्री रोहित पालीवाल को सुपुर्द किये गये। वक्त

05.15 पी.एम पर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी को शक हो जाने एवं अन्यत्र जगह के लिए रवाना हो जाने से आज दिनांक को रिश्वती राशि का आदान प्रदान होना सम्भव नहीं होने से परिवादी को वहीं छोड़कर अब तक की कार्यवाही की गोपनयता बरतने एवं आईन्दा संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाने की हिदायत दी गई एवं उच्चाधिकारियों से रहबरी हासिल कर मन् निरीक्षक पुलिस श्री अमराराम खोखर, श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रोहित पालीवाल, श्री अर्जुन पंवार, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री संजय कानि. 587 श्री रामकिशोर कानि. 110, श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री भीम सिंह कानि. 446,एवं के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, श्री प्रभु सिंह कानि. 77 मय फिनोथफ्लीन पाउडर की शिशि एवं कार्यवाही की पत्रावली मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर जरिये बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लाला राम 638 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहान श्रीमती अनु चौधरी निरीक्षक पुलिस निजी वाहनो से ग्राम आऊ से कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना होकर वक्त 09.00 पी.एम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंन्त्र गवाह श्री रोहित पालीवाल को सुपुर्द की गई रिश्वति राशि सफेद कागज में लपेटी हुई अवस्था में ही श्री रोहित पालीवाल स्वतंन्त्र गवाह से कार्यालय की सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी लॉक कर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी गई एवं स्वतंन्त्र गवाहान को आईन्दा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब करने पर तुरन्त कार्यालय पहुंचने के हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 25.04.2023 को वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी श्री मदनलाल विश्नोई निवासी लक्ष्मणनगर चाडी जिला जोधपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरा भाई मांगीलाल जो उस समय पी.सी. रिमाण्ड पर चल रहा था उसकी मदद करने के लिए श्री सुरेश मिश्रा उप निरीक्षक द्वारा मेरे से एक लाख रूपये की मांग की थी परन्तु ट्रेप कार्यवाही के दिन श्री मिश्रा उप निरीक्षक को शंका होने से रिश्वती राशि प्राप्त नही की थी साथ ही पुछने पर परिवादी ने बताया कि श्री मिश्रा का मेरे पास आज दिन तक कोई फोन नही आया है। अब श्री सुरेश मिश्रा मेरे से रिश्वती राशि का लेन–देन नही करेगा इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में रिश्वती राशि देने हेतु दिये गये एक लाख रूपये मुझे वापस दिलावे। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया। वक्त 2.10 पीएम पर तलब शुदा स्वतंत्र गवाह श्री रोहित पालीवाल जेईएन जेडीए जोधपुर एवं श्री अर्जुन पंवार कनिष्ठ सहायक जेडीए जोधपुर तलब शुदा हाजर आये जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान को परिवादी श्री मदनलाल के कार्यालय में आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व से अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर जिसके मेमारी कार्ड में आरोपी श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना विजय नगर जिला इन्दौर अर्बन मध्यप्रदेश एवं परिवादी श्री मदनलाल के मध्य दिनांक 01.03.2023 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं रिश्वती राशि वक्त लेन देन से पूर्व हुई रूबरू वार्ता जो उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मेरी मौजुदगी में श्री अमरसिंह कानि. 415 से कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करवाकर उसमें उक्त रिकार्ड दोनो वार्ताओ की कॉपी करवाकर रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु गवाहान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री मांगीलाल ने स्वंय की एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री सुरेशचन्द उप निरीक्षक पुलिस की होना बताया। उक्त दोनो वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से एक सीडी तैयार की गई तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील चस्पा कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तैयार की गई सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। मेमोरी कार्ड की शील्ड शुदा थैली एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि.112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 3.50 पीएम पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रानुसार एवं आरोपी द्वारा परिवादी से आज दिनांक तक किसी प्रकार का सम्पर्क नही करने एवं आरोपी को किसी प्रकार का शक हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होने से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खोलकर उसमें रखे 1,00,000/–रू. की राशि जो सफेद कागज में लपेटी हुई को बाहर निकाल कर

उक्त राशि को गवाह श्री रोहित पालीवाल एवं श्री अर्जुन पंवार से गिनवाई जाकर उक्त राशि को झटकवाकर साफ करवाई गई एवं परिवादी श्री मदनलाल को गिनवाई जाकर 1,00,000/–रू. की राशि परिवादी श्री मदनलाल को सुपुर्द की जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त की गई। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी को रूखसत दी गई।

प्रकरण में परिवादी श्री मदनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संदिग्ध अधिकारी का नाम सुरेश मिश्रा अंकित किया गया है, परन्तु श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर अर्बन मध्य प्रदेश के पत्रांक 595 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा आरोपी के प्राप्त सेवा विवरण अनुसार आरोपी का नाम श्री सुरेशचन्द्र बुनकर होना पाया जाने से प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संदिग्ध आरोपी का नाम श्री सुरेशचन्द्र बुनकर अंकित किया गया है।

परिवादी श्री मदनलाल के चचेरे भाई श्री मांगीलाल के विरूद्व पुलिस थाना विजय नगर जिला इन्दौर अर्बन मध्य प्रदेश में दर्ज प्रकरण संख्या 413/2021 में अनुसंधान आरोपी श्री सुरेशचन्द्र बुनकर उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना विजयनगर जिला इन्दौर अर्बन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाना तथा उक्त प्रकरण में मदद करने एवं परिवादी के चचेरे भाई श्री मांगीलाल को अन्य झुठे प्रकरण में नही फसाने की एवज में मध्यप्रदेश से परिवादी की तहसील आऊ पर आकर रिश्वती राशि 1,50,000/–रू. की मांग करना पाया गया है, परन्तु श्री सुरेशचन्द्र उप निरीक्षक को शंका होने से रिश्वती राशि प्राप्त नही की थी। इस तरह आरोपी श्री सुरेशचन्द्र बुनकर उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना विजयनगर जिला इन्दौर अर्बन मध्य प्रदेश का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुरेशचन्द्र बुनकर उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना विजयनगर जिला इन्दौर अर्बन मध्य प्रदेश के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(अमराराम खोखर)
निरी[illegible] पुलिस
[illegible] निरोधक ब्यूरो
[illegible]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेशचन्द्र बुनकर पुत्र श्री भेरूलाल बुनकर, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना विजय नगर, जिला इन्दौर अर्बन, मध्यप्रदेश के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 198/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.7.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2393-96 दिनांक 21.07.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

21.7.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।